रामगढ़ थाना कांड सं॰ 84/2019

26.08.2021 आवेदक अभियुक्त मसीहा मियाँ की ओर से आत्मसमपर्ण सह जमानत आवेदन अधिवक्ता नियुक्ति पत्र के साथ दाखिल किया गया है। आवेदन की प्रति विद्वान अनु0लो0अभि0पदा0 को दी गई है। भौतिक रूप में दाखिल जमानत परिचालित किया गया है।

जमानत आवेदन का परिचालित करते हुए बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक निर्दोष है तथा किसी प्रकार का अपराध कारित नहीं किया है। धारा 307 एवं 379 भा0द0वि0 छोड़कर अन्य आरोपित धाराए जमानतीय है। धारा 307 एवं 379 भा0द0वि0 आवेदक पर लागु नहीं होता है। उभयपक्ष में वाद प्रतिवाद दर्ज है। अतः आवेदक को जमानत देने का निवेदन करते हैं।

विद्वान अनु0लो0अभि0पदा0 ने जमानत का विरोध किया।

सुना। वाद का अवलोकन किया। अभियुक्त के विरूद्ध धारा 341,323, 324,307,447,337,338,379,427,504,34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपित धारा गंभीर प्रकृति का है तथा सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। सह अभियुक्तों को सामान आरोप में इस न्यायालय द्वारा जमानत नहीं दी गई है। ऐसी परिस्थिति में आवेदक को जमानत देना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतएव, जमानत आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर दिनांक 09.09.2021 तक उपकारा, बगहा में भेजा जाता है।

लेखापित

अपर मु0न्या0दण्डा0-I